ई-न्यूज
24 न्यूज अपडेट
WebSite.: https://24newsupdate.in
उदयपुर, बुधवार 25 मार्च 2026
Mail Id :desk24newsupdate@gmail.com
वर्ष 2 अंक 307

आस पास पाइप लाइन है तो PNG कनेक्शन जरूरी, नहीं लिया तो 90 दिन बाद सिलेण्डर बंद

24 न्यूज अपडेट

नई दिल्ली। केंद्र सरकार की ओर से ने रसोई गैस वितरण को लेकर बड़ा बदलाव करते हुए 'नेचुरल गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर-2026' लागू किया है। इसके तहत जिन घरों के पास पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) की सुविधा उपलब्ध है, वहां अब PNG कनेक्शन लेना अनिवार्य होगा। नोटिस के 90 दिन बाद भी कनेक्शन नहीं लेने पर LPG सिलेंडर की सप्लाई बंद कर दी जाएगी। सरकार ने यह फैसला वैश्विक हालात और गैस की संभावित कमी को देखते हुए लिया है, ताकि घरेलू उपभोक्ताओं को निरंतर गैस उपलब्ध हो सके।

क्या हैं नए नियम

PNG उपलब्ध क्षेत्र में कनेक्शन लेना जरूरी हैं नोटिस मिलने के बाद 3 महीने का समय दिया जाएगा। तय समय में कनेक्शन नहीं लेने पर LPG सप्लाई बंद हो जाएगी। PNG उपभोक्ताओं को LPG सिलेंडर नहीं मिलेगा।

सोसाइटी और विभागों के लिए सख्ती

हाउसिंग सोसाइटी को 3 दिन में पाइपलाइन की अनुमति देनी होगी। छोटे प्रोजेक्ट्स को 10 दिन और बड़े को 60 दिन में मंजूरी। तय समय में निर्णय नहीं होने पर 'डीम्ड क्लियरेंस' लागू।

जमीन मालिकों को फायदा

पाइपलाइन के लिए जमीन देने पर 30% मुआवजा दिया जाएगा। 24 घंटे में अनुमति देने पर 60% मुआवजा दिया जाएगा। नियमों के अनुसार मकान मालिक के साथ-साथ किराएदार भी PNG कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए रेंट एग्रीमेंट और NOC जरूरी होगी। सरकार का कहना है कि PNG प्रणाली अधिक सुरक्षित, सुविधाजनक और किफायती है। इससे सिलेंडर बुकिंग की झंझट खत्म होगी और आपूर्ति भी निर्बाध बनी रहेगी।

उपभोक्ताओं के लिए राहत और चिंता दोनों जहां PNG से सुविधा और खर्च में कमी की उम्मीद है, वहीं LPG पर निर्भर रहने वाले उपभोक्ताओं के विकल्प सीमित हो सकते हैं। हालांकि जिन क्षेत्रों में पाइपलाइन संभव नहीं है, वहां LPG सप्लाई जारी रहेगी।

फर्जी FMGE सर्टिफिकेट रैकेट का भंडाफोड़ः पूर्व रजिस्ट्रार सहित 18 गिरफ्तार, 90+ संदिग्ध डॉक्टर चिन्हित

24 न्यूज अपडेट

जयपुर/उदयपुर। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) ने प्रदेश में बड़े मेडिकल फर्जीवाड़े का खुलासा करते हुए राजस्थान मेडिकल काउंसिल के पूर्व रजिस्ट्रार डॉ. राजेश शर्मा समेत 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई फर्जी FMGE (Foreign Medical Graduate Examination) सर्टिफिकेट के जरिए अवैध रजिस्ट्रेशन कराने के मामले में की गई। SOG के एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में 15 एमबीबीएस अभ्यर्थी शामिल हैं, जो विदेश से डिग्री लेकर आए थे, लेकिन FMGE परीक्षा पास नहीं कर सके। इसके बावजूद इन्होंने 20 से 25 लाख रुपए देकर फर्जी सर्टिफिकेट बनवाए और RMC में रजिस्ट्रेशन कराने का प्रयास किया।

9 जिलों में एक साथ कार्रवाई, 21 टीमों की दबिश

SOG ने दिल्ली, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर सहित 9 जिलों में एक साथ 21 टीमों के जरिए छापेमारी कर इस नेटवर्क को ध्वस्त किया। कार्रवाई परिस देशमुख और कुंदन कांवरिया के निर्देशन में अंजाम दी गई। जांच में अब तक 93 ऐसे लोगों की पहचान की गई है, जिन्होंने फर्जी FMGE सर्टिफिकेट के आधार पर मेडिकल रजिस्ट्रेशन या इंटर्नशिप हासिल करने की कोशिश की। कई आरोपी निजी अस्पतालों में डॉक्टर बनकर सेवाएं भी दे रहे थे। उदयपुर में यश पुरोहित नामक आरोपी इसी तरह फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर कार्यरत मिला।

ऐसे चला फर्जीवाड़े का खेल

प्रारंभिक जांच में सामने आया कि इस संगठित गिरोह के जरिए फर्जी FMGE सर्टिफिकेट तैयार कराए जाते थे। बिना वैध सत्यापन के RMC से प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन जारी करवा लिया जाता था। पूरे नेटवर्क में अधिकारियों, कर्मचारियों और दलालों की मिलीभगत सामने आई है। इस मामले की शुरुआत पीयूष त्रिवेदी की गिरफ्तारी से हुई, जो करौली में फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर इंटर्नशिप कर रहा था। पूछताछ में देवेंद्र, शुभम और भानाराम सहित अन्य आरोपियों के नाम सामने आए, जिससे पूरे रैकेट का खुलासा हुआ।

हर कैंडिडेट से लाखों की वसूली

SOG के अनुसार, प्रत्येक अभ्यर्थी से 20-25 लाख रुपए तक वसूले जाते थे। इसमें से करीब 11 लाख रुपए RMC के अधिकारियों/कर्मचारियों तक पहुंचते थे, जबकि बाकी रकम दलालों में बांटी जाती थी। SOG ने सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर जयपुर लाया है, जहां उनसे गहन पूछताछ की जा रही है। जल्द ही कोर्ट में पेश कर रिमांड लिया जाएगा। एजेंसी का कहना है कि जांच अभी जारी है और आने वाले समय में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। मामले के सामने आने के बाद चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने अक्टूबर 2024 में जांच कमेटी गठित की थी। अंतरिम रिपोर्ट में अनियमितताएं सामने आने पर डॉ. राजेश शर्मा को निलंबित कर दिया गया था। अब इस मामले में उनकी गिरफ्तारी के साथ जांच ने नया मोड़ ले लिया है। SOG की इस कार्रवाई को प्रदेश में मेडिकल फर्जीवाड़े के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है।

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को हाईकोर्ट से जमानत, गिरफ्तारी पर रोक; सख्त शर्तें लागू

24 न्यूज अपडेट

नई दिल्ली। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। अदालत ने उनकी जमानत मंजूर करते हुए स्पष्ट किया कि पुलिस चार्जशीट दाखिल होने तक उनकी गिरफ्तारी नहीं करेगी। यह आदेश जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा की बेंच ने दोपहर करीब 3:45 बजे सुनाया। कोर्ट ने जमानत के साथ कई अहम शर्तें भी जोड़ी हैं। दोनों पक्षों—शंकराचार्य और आशुतोष महाराज—को मीडिया में बयानबाजी या इंटरव्यू देने से रोका गया है। इसके अलावा शंकराचार्य के विदेश यात्रा पर भी रोक लगाई गई है, जिसके लिए अदालत से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। यदि किसी भी पक्ष द्वारा शर्तों का उल्लंघन किया जाता है, तो दूसरा पक्ष जमानत निरस्तीकरण के लिए याचिका दायर कर सकता है। सुनवाई के दौरान शंकराचार्य पक्ष के वकीलों ने अदालत से आग्रह किया कि सार्वजनिक आयोजनों और यात्राओं के दौरान होने वाली बयानबाजी पर भी रोक लगाई जाए। इस पर कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की शर्तों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए।

फैसले के बाद प्रतिक्रिया

जमानत मिलने के बाद शंकराचार्य ने कहा कि ऐसे फैसले न्याय प्रणाली में विश्वास को मजबूत करते हैं। उन्होंने टिप्पणी की कि कभी-कभी कानून का दुरुपयोग होता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन ऐसे निर्णय लोगों का भरोसा कायम रखते हैं। वहीं आशुतोष महाराज पक्ष की प्रवक्ता ने फैसले पर असंतोष जताते हुए कहा कि वे न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और आगे की कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे।

काशी में जश्न, मठ में बंटी मिठाई

फैसले के बाद काशी स्थित मठ में समर्थकों ने खुशी जताते हुए काजू कतली बांटी और जयकारे लगाए। इससे पहले भी अदालत द्वारा गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक मिलने पर मठ में धार्मिक अनुष्ठान किए गए थे।

क्या होती है चार्जशीट?

कानूनी प्रक्रिया के अनुसार, पुलिस जांच पूरी होने के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करती है, जिसमें आरोपी के खिलाफ सबूत और लागू धाराओं का विवरण होता है। यदि आरोपी गिरफ्तार है तो आमतौर पर 90 दिन के भीतर चार्जशीट दाखिल करना आवश्यक होता है, अन्यथा अदालत जवाब तलब कर सकती है।

चांदी 9 हजार बढ़कर 2.34 लाख पर पहुंचीः10 ग्राम सोना 5 हजार महंगा होकर 1.45 लाख का हुआ

24 न्यूज अपडेट

सोने-चांदी की कीमत में आज यानी 25 मार्च को तेजी है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक, 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 5 हजार बढ़कर 1.45 लाख रुपए पर पहुंच गया है। वहीं, एक किलो चांदी की कीमत 9 हजार बढ़कर 2.34 लाख रुपए पर पहुंच गई है।

सेंसेक्स 1205 अंक चढ़कर 75,273 पर बंदःनिफ्टी में भी 394 अंक की तेजी रही, ऑटो और बैंकिंग शेयर्स में ज्यादा खरीदारी

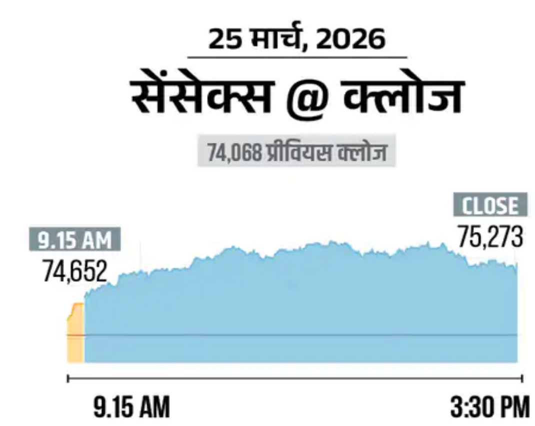

24 न्यूज अपडेट

शेयर बाजार में आज यानी 25 मार्च को तेजी रही। सेंसेक्स 1,205 अंक (1.63%) की तेजी के साथ 75,273 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 394 अंक (1.72%) की तेजी रही, ये 23,306 पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 26 में बढ़त रही। आज ऑटो, बैंकिंग, मेटल और FMCG शेयर ज्यादा चढ़े।

ज्वेलर्स शॉप से 2 किलो चांदी के जेवर चोरी, नौकर गिरफ्तार

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। घंटाघर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ज्वेलरी दुकान से चांदी के आभूषण चोरी करने के मामले में आरोपी नौकर को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने मालिक की गैरमौजूदगी का फायदा उठाकर वारदात को अंजाम दिया था।पुलिस के अनुसार मोती चौहट्टा स्थित आशा ज्वेलर्स के संचालक फतेहलाल सोनी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनकी दुकान पर कार्यरत नौकर भंवरलाल ने दुकान से करीब दो किलोग्राम चांदी के जेवर चोरी कर लिए। मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की। जिला पुलिस अधीक्षक डॉ. अमृता दुहन के निर्देश पर वांछित आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा और वृताधिकारी राजेश यादव के सुपरविजन में थानाधिकारी कर्मवीर सिंह के नेतृत्व में टीम गठित की गई। पुलिस टीम ने आसूचना और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर फरार आरोपी भंवरलाल को ट्रेस कर गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने चोरी की वारदात स्वीकार कर ली है। पुलिस आरोपी से चोरी किए गए आभूषणों की बरामदगी को लेकर पूछताछ कर रही है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान भंवरलाल पुत्र सोहन (35) निवासी नीमच खेड़ा, थाना अंबामाता, उदयपुर के रूप में हुई है।

कार्रवाई में शामिल टीम

थानाधिकारी कर्मवीर सिंह, सहायक उपनिरीक्षक कैलाश चंद्र और हेड कांस्टेबल दिलीप सिंह ने इस कार्रवाई में अहम भूमिका निभाई।

संपादकीय : प्रावधान का पैमाना

सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षित वर्ग और धर्मांतरण से जुड़े मसले पर मंगलवार को स्पष्ट सुनाया है। इस मुताबिक, हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म छोड़कर कोई दूसरा धर्म अपनाने वाला अनुसूचित जाति मूल का व्यक्ति या परिवार संरक्षण, आरक्षण या अन्य वैधानिक लाभ का पात्र होने का दावा नहीं कर सकता है। ऐसा इसलिए, क्योंकि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार धर्म परिवर्तन के साथ ही उसका अनुसूचित जाति का दर्जा समाप्त हो जाता है। शीर्ष अदालत के इस फैसले को लंबे समय से चल रही उस बहस पर निर्णायक माना जा रहा है, जिसमें यह दावा किया जा रहा था कि भले ही किसी व्यक्ति ने धर्म परिवर्तन कर लिया हो, लेकिन उसकी मूल सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर उसे आरक्षित श्रेणी का लाभ मिलना चाहिए। ऐसे मामले अक्सर सामने आते रहते हैं कि धर्म परिवर्तन के बाद भी वो आरक्षित श्रेणी का लाभ पाने का हकदार मानते हैं। मगर अदालत ने अपने निर्णय में साफ कर दिया है कि इस तरह का कोई भी दावा मान्य नहीं हो सकता है। दरअसल, यह मामला आंध्र प्रदेश से सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा था। याचिकाकर्ता ने ईसाई धर्म अपना लिया था, इसके बावजूद वह खुद को अनुसूचित जाति का सदस्य बताते हुए अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम के तहत संरक्षण प्रावधानों के लाभ की मांग कर रहा था । आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने इससे संबंधित याचिका यह कहते खारिज कर दी थी कि धर्म परिवर्तन के बाद किसी व्यक्ति को अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं दिया जा सकता। इसे जागरूकता का अभाव कहा जाएगा या व्यवस्था में अस्पष्टता कि आरक्षित वर्ग से जुड़े लोगों में आज भी यह भ्रम है कि अगर वे हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म छोड़कर कोई दूसरा धर्म अपना लेते हैं, तब भी उन्हें अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम का लाभ मिलता रहेगा। मगर अब शीर्ष अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे व्यक्ति को संविधान, संसद या राज्य विधानमंडल के किसी कानून के तहत कोई भी वैधानिक लाभ, संरक्षण या आरक्षण नहीं दिया जा सकता। यह पूरी तरह प्रतिबंधित हैं और इसमें कोई अपवाद नहीं है। हुए गौरतलब है कि धर्म परिवर्तन करने वालों की जातिगत स्थिति से जुड़े सवाल केवल अदालतों तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि इस मसले को राजनीतिक नफा-नुकसान के चश्मे से भी देखा जाता है। कर्नाटक के राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की ओर से पिछले दिनों की गई जाति गणना में उस वक्त विवाद खड़ा हो गया था, जब ईसाई समुदाय के अंतर्गत तैतीस जातियों को सूचीबद्ध किया गया। तब विपक्ष के विरोध और राज्यपाल के सुझाव के बाद इन समुदायों को सूची से हटा दिया गया, हालांकि चार श्रेणियों को बरकरार रखा गया। ऐसे में यह सवाल भी महत्त्वपूर्ण है कि आरक्षित वर्ग और धर्मांतरण से जुड़े मसले पर शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में जिस तरह स्थिति स्पष्ट की है, क्या इस तरह की पहल सरकारी स्तर पर नहीं की जा सकती थी ? जबकि संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म अपनाने पर अनुसूचित जाति का दर्जा तुरंत समाप्त हो जाता है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम का सुरक्षात्मक ढांचा उन लोगों तक विस्तारित नहीं किया जा सकता, जिन्होंने धर्म परिवर्तन करके इस सामाजिक और कानूनी श्रेणी से बाहर निकलने का विकल्प चुना है ।

उम्मीदों का बजट

इस बार दिल्ली के बजट में विकास की संतुलित तस्वीर नजर आती है। इसमें भले ही राष्ट्रीय राजधानी के बाशिंदों को तात्कालिक लाभ वाली घोषणाओं की कमी महसूस हो, लेकिन भविष्य की उम्मीदों को लेकर प्रतिबद्धता साफ दिखती है, जिसमें प्रदूषण जैसे गंभीर मसले की चिंता भी शामिल है। ऐसा इसलिए, क्योंकि कुल बजट का इक्कीस फीसद हिस्सा पर्यावरण संरक्षण पहल के लिए रखा गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को दिल्ली विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 1,03,700 करोड़ रुपए का बजट पेश करते हुए कहा कि यह हरित बजट है। इसमें दोराय नहीं कि सरकार की नीतियों में जनसरोकार की भावना दिखनी चाहिए। इस दृष्टि से देखें, तो सरकार ने इसका विशेष ध्यान रखा है और शिक्षा क्षेत्र के साथ जनस्वास्थ्य सेवाओं को भी प्राथमिकता दी है। शिक्षा पर कुल बजट का अठारह फीसद खर्च करने का निर्णय निस्संदेह सराहनीय कदम है। वहीं स्वास्थ्य सेवाओं के लिए तेरह हजार करोड़ से अधिक राशि आवंटित किए जाने से उम्मीद की जा सकती है कि सरकारी अस्पतालों की दशा और दिशा बदलेगी। बजट में नागरिकों को बेहतर और आधुनिक सुविधाएं देने का संतुलित प्रयास किया गया है। युवा पीढ़ी भविष्य में दिल्ली की जो नई तस्वीर देखना चाहती है, सरकार उसी दिशा में कदम बढ़ाती दिख रही है। आने वाले वर्षों में यहां सार्वजनिक परिवहन का नया रूप सामने होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि वर्ष 2029 तक पूरे परिवहन बेड़े को इलेक्ट्रिक बसों में बदला जाएगा। इसी के साथ दिल्ली की सड़कों की दशा सुधारने की इच्छाशक्ति भी सरकार ने दिखाई है। शहरी विकास के साथ धूलमुक्त सड़कें बनाने के लिए अलग से राशि का आबंटन किया गया है। नई सेमीकंडक्टर नीति की घोषणा से उम्मीद जगी है कि राजधानी में नवउद्यम समेत बुनियादी औद्योगिक ढांचे का सतत विकास होगा। इसके अलावा अटल कैंटीन से जुड़े विश्राम स्थल बनाने की घोषणा से अस्थायी कर्मचारियों को रोजमर्रा की कठिनाइयों से राहत मिलने की उम्मीद जगी है। कुल मिलाकर वह बजट विकासोन्मुख माना जा रहा है, लेकिन यह तभी संभव होगा, जब बजट घोषणाओं पर पूरी तरह अमल किया जाएगा।

दिनदहाड़े बुजुर्ग महिला से चेन लूट का खुलासा, फूफा-भतीजा गिरफ्तार, 500 CCTV फुटेज खंगालकर जंगल से दबोचा

24 न्यूज़ अपडेट

उदयपुर। शहर में दिनदहाड़े बुजुर्ग महिला से चेन लूट की सनसनीखेज वारदात का पुलिस ने खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। खास बात यह है कि दोनों आरोपी रिश्ते में फूफा-भतीजा हैं और वारदात को अंजाम देने के बाद अलग-अलग ठिकानों पर छिपते हुए आखिरकार ऋषभदेव के जंगलों में जाकर छुपे, जहां से पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। गिरफ्तारी के दौरान भागने की कोशिश में एक आरोपी का पैर भी टूट गया।

पुलिस अधीक्षक डॉ. अमृता दुहन ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में प्रभुलाल उर्फ प्रकाश (51) पुत्र जीवा मीणा निवासी ऋषभदेव हाल खेरवाड़ा और तरुण मीणा (24) पुत्र सिकंदर निवासी ऋषभदेव शामिल हैं। दोनों के खिलाफ पूर्व में भी लूट और डकैती के कई मामले दर्ज हैं। तरुण मीणा सलूंबर जिले के सेमारी थाने का भगोड़ा घोषित था, जबकि प्रभुलाल गुजरात में भी लूट के मामले में अहमदाबाद जेल जा चुका है।

ऐसे हुई थी वारदात

सुखेर थानाधिकारी भरत योगी ने बताया कि आरके सर्कल निवासी हैंडीक्राफ्ट व्यवसायी राकेश जैन की 75 वर्षीय माता रूप कंवर प्रतिदिन की तरह 18 मार्च की सुबह भुवाणा स्थित शांतिनाथ जैन मंदिर में दर्शन कर पैदल घर लौट रही थीं। सुबह करीब साढ़े 8 बजे जब वह घर से लगभग 100 मीटर दूर सेलिब्रेशन मॉल के पास पहुंचीं, तभी पहले से पीछा कर रहे बाइक सवार दो बदमाशों में से एक ने उनके गले पर झपट्टा मारकर सोने की चेन खींच ली।

रूप कंवर ने हिम्मत दिखाते हुए बदमाश को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आरोपी ने उन्हें धक्का देकर सड़क के डिवाइडर पर गिरा दिया और करीब 6 तोले वजनी सोने की चेन छीनकर अपने साथी के साथ फरार हो गया। इस दौरान पास में मौजूद दुकानदार देवीलाल डांगी ने बदमाशों का पीछा किया, लेकिन दौड़ते समय वह गिर गए और आरोपी फरार होने में सफल रहे।

500 से अधिक CCTV फुटेज खंगालकर पहुंचे आरोपियों तक

घटना के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सुखेर थाना पुलिस और जिला स्पेशल टीम के संयुक्त प्रयास से जांच शुरू की। आरोपियों की पहचान के लिए शहर और आसपास के क्षेत्रों के करीब 500 से अधिक CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली गई। तकनीकी और मानव सूचना के आधार पर आरोपियों के संभावित ठिकानों पर सलूंबर, डूंगरपुर और अहमदाबाद तक दबिश दी गई।

लगातार पीछा करते हुए पुलिस को आरोपियों के ऋषभदेव क्षेत्र में छिपे होने की सूचना मिली। इस पर टीम ने जंगल में घेराबंदी कर दोनों को शराब के नशे की हालत में गिरफ्तार कर लिया। भागने के प्रयास में एक आरोपी गिरकर घायल हो गया, जिससे उसका पैर टूट गया।

इनाम घोषित था, पूछताछ जारी

वारदात के बाद दोनों आरोपियों पर 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और लूटी गई चेन की बरामदगी के प्रयास जारी हैं।

एसपी ने पीड़िता की हिम्मत को सराहा

घटना के बाद पुलिस अधीक्षक डॉ. अमृता दुहन ने सुखेर थाने में पीड़िता रूप कंवर से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि जिस साहस के साथ उन्होंने बदमाशों का सामना किया, वह समाज के लिए प्रेरणादायक है।

निंबाहेड़ा के 58 गांवों को चंबल का पेयजल, 121 करोड़ की योजना को मिली रफ्तार

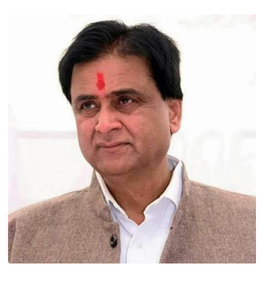

24 न्यूज़ अपडेट

निंबाहेड़ा (कविता पारख)। जल संकट से जूझ रहे ग्रामीणों के लिए बड़ी राहत की खबर है। जल जीवन मिशन के तहत निंबाहेड़ा विधानसभा क्षेत्र के 58 गांवों में जल्द ही चंबल परियोजना से पेयजल आपूर्ति शुरू होगी। करीब 121.05 करोड़ रुपये की लागत वाली इस योजना की निविदा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और जल्द ही कार्यादेश जारी कर काम शुरू किया जाएगा। पूर्व यूडीएच मंत्री व विधायक श्रीचंद कृपलानी की अनुशंसा पर शुरू हो रही इस योजना को राज्य सरकार ने प्राथमिकता दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी के निर्देशन में परियोजना को गति मिली है। जलदाय विभाग के अनुसार योजना के तहत चयनित गांवों में पानी की टंकियां बनाई जाएंगी और पाइपलाइन बिछाकर हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाया जाएगा। इससे वर्षों पुरानी पेयजल समस्या का स्थायी समाधान होने की उम्मीद है। विधायक कृपलानी ने कहा कि हर घर तक शुद्ध पानी पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है और चंबल का पानी गांवों तक पहुंचाना क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक कदम होगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस योजना से ग्रामीणों को बड़ी राहत मिलेगी और क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि निंबाहेड़ा ब्लॉक के 81 और छोटीसादड़ी ब्लॉक के 93 सहित कुल 174 गांवों में जाखम परियोजना के तहत 430.64 करोड़ रुपये की लागत से पेयजल उपलब्ध कराने की प्रक्रिया भी जारी है।

कलेक्ट्रेट में अमृता-काल का अनुशासन, बिना हेलमेट-सीट बेल्ट एंट्री बंद

24 न्यूज़ अपडेट

उदयपुर। अगर आप किसी काम से कलेक्ट्रेट जा रहे हैं और भीतर वाहन पार्क करना चाहते हैं तो आपके लिए चेतावनी है, बिना हेलमेट के आप अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। शहर में यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए पुलिस ने सख्त कदम उठाते हुए जिला कलेक्ट्रेट परिसर को मॉडल जोन बना दिया है। बिना हेलमेट दोपहिया और बिना सीट बेल्ट चारपहिया वाहन चालकों को कलेक्ट्रेट में प्रवेश नहीं मिलेगा। नए पुलिस अधीक्षक डॉ. अमृता दुहन के निर्देश पर बुधवार से व्यवस्था लागू हो गई पहले दिन कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार पर पुलिसकर्मियों की तैनाती रही, जिन्होंने वाहन चालकों की जांच की व नियमों का पालन नहीं करने वालों को गेट पर रोक दियां लोग बाहर वाहन पार्क करके अंदर गए। कई वाहन चालकों को मौके पर ही हेलमेट पहनने और सीट बेल्ट लगाने की समझाइश की दी गई। इस बीच एसपी ने आज यातायात कंट्रोल रूम में पुलिसकर्मियों व अफसरों की बैठक लेकर साफ हिदायत दी कि पुलिसकर्मी खुद हेलमेट पहनें, फोन पर बात करते हुए नहीं जाएं और विनम्रता से समझाइश के बाद सख्ती से चलाना बनाएं। चालान सबका बनेगा फिर चाहे जितना प्रभावशाली व्यक्ति हो।

उदयपुर के हितेष की अहमदाबाद में निर्मम हत्या, परिजन बोले- गिरफ्तारी नहीं तो अंतिम संस्कार नहीं

24 न्यूज़ अपडेट

उदयपुर/अहमदाबाद, 25 मार्च। खुशियों की दहलीज पर खड़ा एक परिवार पलभर में मातम में डूब गया। उदयपुर के नयागांव उपखंड के बलीचा गांव के 25 वर्षीय युवक हितेष मेघवाल की गुजरात के अहमदाबाद में सोमवार रात अज्ञात हमलावरों ने बेरहमी से हत्या कर दी। घटना ने न सिर्फ परिवार, बल्कि पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है। जानकारी के अनुसार हितेष अपने घर के बाहर बरामदे में सो रहा था, तभी अंधेरे का फायदा उठाकर हमलावरों ने धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार किए। पेट में किए गए गहरे घाव इतने भयावह थे कि मौके पर ही उसकी मौत हो गई। पास ही सो रही बहन की चीख सुनकर परिजन दौड़े, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुके थे। घटना के बाद परिजन और समाज के लोग उदयपुर से अहमदाबाद पहुंचे और सिविल हॉस्पिटल परिसर में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। परिजनों ने साफ कहा है—जब तक हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होगी, तब तक शव का पोस्टमॉर्टम और अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा।

मृतक के पिता रमणलाल मेघवाल ने बताया कि हितेष परिवार का बड़ा बेटा था और उसकी शादी दो महीने बाद तय थी। घर में तैयारियां चल रही थीं, लेकिन इस दर्दनाक घटना ने सारी खुशियों को शोक में बदल दिया। परिवार करीब 20 साल पहले उदयपुर से अहमदाबाद जाकर बस गया था। हितेष अपने पिता के साथ फर्नीचर का काम करता था और परिवार की जिम्मेदारी संभाल रहा था। पीछे दो भाई और एक बहन हैं। घटना की सूचना मिलते ही मेघवाल समाज, आदिवासी विकास यूनियन, भीम आर्मी और जय भीम संगठन के लोग भी अस्पताल पहुंचे और न्याय की मांग को लेकर आवाज बुलंद की।

विश्व रंगमंच दिवस पर 'परसाई का संसार' नाटक का मंचन 27 मार्च को

24 न्यूज़ अपडेट

उदयपुर, 25 मार्च। पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, उदयपुर द्वारा विश्व रंगमंच दिवस के उपलक्ष्य में शिल्पग्राम स्थित दर्पण सभागार में 27 मार्च को सायं 7 बजे नाटक 'परसाई का संसार' का मंचन किया जाएगा। पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, उदयपुर के निदेशक डॉ. अश्विन दलवी ने बताया कि यह प्रस्तुति 20 फरवरी से प्रारंभ हुए 40 दिवसीय प्रस्तुति उन्मुख नाट्य कार्यशाला के प्रतिभागियों द्वारा दी जाएगी। इस कार्यशाला में देश के प्रतिष्ठित रंगकर्मी एवं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली तथा उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, प्रयागराज के पूर्व निदेशक प्रो. सुरेश शर्मा द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। इस नाटक के निर्देशक संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित प्रो. सुरेश शर्मा तथा सहायक निर्देशक तनय विवेक पाण्डेय है। उल्लेखनीय है कि नाटक 'परसाई का संसार' सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई की रचनाओं पर आधारित है, जिसमें समकालीन सामाजिक विसंगतियों पर तीखा और सारगर्भित व्यंग्य प्रस्तुत किया गया है। इस अवसर पर आमजन के लिए प्रवेश निःशुल्क रहेगा।

राज्यपाल कटारिया की सादगी और कार्यशैली की सराहना

24 न्यूज़ अपडेट

चित्तौड़गढ़, 25 मार्च। पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया की सादगी और कार्यशैली को लेकर एक विशेष अनुभव साझा किया गया है। चित्तौड़गढ़ अर्बन बैंक के चेयरमैन डॉ. आई. एम. सेठिया और पूर्व चेयरपर्सन विमला सेठिया ने तीन दिन राजभवन में बिताए अपने अनुभवों में बताया कि कटारिया आमजन से जुड़े रहने वाले जनप्रतिनिधि की तरह कार्य कर रहे हैं। बताया गया कि राज्यपाल बनने के बाद भी कटारिया की दिनचर्या सादगीपूर्ण बनी हुई है। वे सुबह जल्दी उठकर नियमित रूप से भ्रमण करते हैं और उसके बाद दैनिक कार्यों में जुट जाते हैं। दिनभर वे प्रशासनिक कार्यों में सक्रिय रहते हुए अधिकारियों के साथ बैठकें करते हैं और जनसमस्याओं पर चर्चा करते हैं। अनुभव के अनुसार, राजभवन में जनसुनवाई के दौरान विभिन्न प्रकरणों पर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। साथ ही, किसी घटना की सूचना मिलने पर उन्होंने तुरंत संबंधित अधिकारियों से चर्चा कर बैठक आयोजित कर स्थिति की समीक्षा की। राजभवन के कर्मचारियों ने भी उनकी कार्यशैली की सराहना करते हुए बताया कि वे सभी से सहज व्यवहार रखते हैं। उनकी धर्मपत्नी अनीता कटारिया के व्यवहार को भी आत्मीय बताया गया। चंडीगढ़ में आमजन और व्यापारियों के साथ संवाद के दौरान भी यह सामने आया कि लोग अपनी समस्याएं सीधे उनके सामने रख पा रहे हैं और उन्हें समाधान की उम्मीद रहती है। इस अनुभव में यह बात सामने आई कि कटारिया का कार्यकाल सादगी, सक्रियता और जनसंपर्क के कारण अलग पहचान बना रहा है।

मां-बेटी पर एसिड फेंकने वाले को उम्रकैदःबच्ची की एक आंख की रोशनी चली गई, जज बोलीं- तेजाब का हमला सपनों को भी जलाता है

24 न्यूज अपडेट

अजमेर की महिला उत्पीड़न कोर्ट ने चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन पर एक साल पहले मां-बेटी पर तेजाब से हमला करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। तेजाब के हमले से 12 साल की बच्ची की एक आंख की रोशनी चली गई और दूसरी आंख से कम दिखाई देता है। कोर्ट ने आरोपी पर 2 लाख का जुर्माना भी लगाया है।

जज उत्तमा माथुर ने टिप्पणी करते हुए कहा- तेजाब का हमला शरीर को ही नहीं जलाता, पीड़ित के भविष्य, सपनों और परिवार को भी जला देता है।

सरकारी एडवोकेट नरेश कुमार धूत ने बताया- मध्य प्रदेश की रहने वाली एक महिला अपनी 12 साल की बेटी और परिवार के साथ धार्मिक यात्रा पर आई थी। 25 अप्रैल 2025 को अजमेर से चित्तौड़गढ़ पहुंचकर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 4 पर सभी रुके हुए थे। 26 अप्रैल की सुबह मां-बेटी टॉयलेट के लिए प्लेटफार्म नंबर-एक से आगे लगभग 200 मीटर दूर पटरी के पास झाड़ियों में गई थी।

सरकारी वकील ने बताया- इसी दौरान आरोपी मोहम्मद इस्माइल वहां पहुंचा। आरोपी को अपनी ओर बढ़ता देखकर बच्ची ने उसे रोका। तभी आरोपी ने बोतल में रखा तेजाब निकालकर नाबालिग के चेहरे पर फेंक दिया। बच्ची की मां पकड़ने के लिए भागी तो उस पर भी तेजाब फेंककर बस स्टैंड की ओर भाग गया। दोनों मां-बेटी को चित्तौड़गढ़ के अस्पताल में भर्ती करवाया गया था।

मामले में जीआरपी थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। एएसआई धूल तीरगर और कॉन्स्टेबल पवन कुमार ने बताया सीसीटीवी चेक करते हुए आरोपी की पहचान की। पुलिस ने मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले आरोपी मोहम्मद इस्माइल को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस की ओर से कोर्ट में चालान पेश किया गया था। इसके बाद कोर्ट में ट्रायल शुरू हुई थी।

आरोपी को आजीवन कारावास की हुई सजा

सरकारी वकील नरेश कुमार ने बताया- अजमेर की महिला उत्पीड़न कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से 17 गवाह और 57 दस्तावेज पेश किए गए थे। इस पर जज उत्तमा माथुर ने आरोपी मोहम्मद इस्माइल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आरोपी पर 2 लाख का जुर्माना भी लगाया है। इसके साथ कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चित्तौड़गढ़ को पीड़ित पक्ष को एक-एक लाख रुपए आर्थिक सहायता देने की अनुशंसा की। जज उत्तमा माथुर ने सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के एक केस का हवाला दिया। इसमें बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने 'लक्ष्मी बनाम भारत संघ' (2014) 4 SCC 427 के मामले में कहा है कि तेजाब का हमला शरीर को ही नहीं, बल्कि पीड़ित के भविष्य, सपनों और पूरे परिवार को जला देता है। यह एक ऐसा घाव है, जो उम्रभर पीड़ित को अंदर ही अंदर मारता रहता है। यदि ऐसे विकृत मानसिकता वाले अपराधियों को शरीर के जलने वाले भाग के कम प्रतिशत होने के तकनीकी आधार पर दंडादेश में कोई भी छूट दी जाती है तो इससे समाज में अपराधियों के हौसले बढ़ेंगे और आम लोगों, महिलाओं, बच्चियों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी।

इसके अलावा मामले में घटना की डिजिटल रिकॉर्डिंग (पेन ड्राइव) के माध्यम से कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की गई है, जिनके साथ धारा 63(4) भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सर्टिफिकेट संलग्न है। साथ ही पीड़िता के कपड़ों और घटनास्थल पर मिली बोतल से हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलने की पुष्टि एफएसएल रिपोर्ट से भी हुई है।

कोर्ट ने लिखा- ऐसे मामलों के तथ्यों और परिस्थितियों में सभी पीड़िताओं के भविष्य पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव एवं आरोपी के अपराध की गंभीर प्रकृति देखते हुए उसे दंडित किया जाता है।

जुआ खेलते दो आरोपी गिरफ्तार

उदयपुर। धानमंडी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी साहिद खान (46) निवासी अमरनगर मल्लातलाई व अशोक कुमार आचार्य निवासी बेदला को तैयाबिया स्कूल के सामने देहलीगेट पार्किंग के पास से पकड़ा गया। मौके से सट्टे की पर्चियां, पेन व 900 रुपए नकद जब्त किए गए। कार्रवाई आरपीएस प्रशिक्षु जगदीश कुमार द्वारा की गई। मामले की जांच उपनिरीक्षक बिहारीलाल कर रहे हैं।

स्कूल के पास तंबाकू बेचते आरोपी पर कार्रवाई

उदयपुर। बावलवाड़ा थाना पुलिस ने स्कूल के पास तंबाकू उत्पाद बेचने पर एक व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की। आरोपी विरजीराम (46) निवासी भाणदरा को विद्यालय की 100 मीटर परिधि में बीड़ी-गुटखा बेचते पकड़ा गया। कार्रवाई हेडकांस्टेबल लक्ष्मणलाल द्वारा की गई। मामले की जांच हेडकांस्टेबल विपिन कुमार कर रहे हैं।

तलवार के साथ युवक गिरफ्तार

उदयपुर। खेरवाड़ा थाना पुलिस ने बिना वैध दस्तावेज के तलवार रखने और लोगों को डराने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी अरुण कुमार डामोर (20) निवासी रोबिया हिरोत फला को पलसिया तिराहा से पकड़ा गया। कार्रवाई एएसआई दिग्विजय सिंह द्वारा की गई। मामले की जांच हेडकांस्टेबल जितेंद्र कर रहे हैं।

5 लीटर अवैध शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार

उदयपुर। पाटिया थाना पुलिस ने 5 लीटर अवैध हथकड़ शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी महेश कुमार निवासी गुड़ा को गणेशघाटी क्षेत्र से पकड़ा गया। कार्रवाई हेडकांस्टेबल बदाराम द्वारा की गई। मामले की जांच हेडकांस्टेबल हितेश कुमार कर रहे हैं।

अवैध शराब परिवहन करते एक और आरोपी गिरफ्तार

उदयपुर। पाटिया थाना पुलिस ने 5 लीटर अवैध हथकड़ शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी मगन डामोर निवासी सुखापाड़ा उखेड़ी को अनैला सकलाल से कनबई मार्ग पर पकड़ा गया। कार्रवाई उपनिरीक्षक प्रभुलाल द्वारा की गई। मामले की जांच संबंधित पुलिस द्वारा जारी है।

6 ग्राम चरस के साथ युवक गिरफ्तार

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। सूरजपोल थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 46 ग्राम चरस के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी सोनु गर्ग (28) निवासी झरनों की सराय, देबारी को फतेह स्कूल के सामने पकड़ा गया। कार्रवाई थानाधिकारी महेश जोशी के निर्देशन में हुई। मामले की जांच उपनिरीक्षक दिनेश पाटीदार कर रहे हैं।

सार्वजनिक स्थान पर सट्टा लगाते आरोपी पकड़ा

उदयपुर। प्रतापनगर थाना पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर सट्टे की पर्चियां काटते एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी शम्भु शाह (44) निवासी उदयप्रताप कॉलोनी को कंचन वे ब्रिज क्षेत्र से पकड़ा गया।

अवैध देशी शराब के साथ युवक गिरफ्तार

उदयपुर। हिरणमगरी थाना पुलिस ने अवैध रूप से देशी महुआ शराब रखने और परिवहन करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी माणा गमेती (38) निवासी धामघर लकड़वास को सेक्टर-7 क्षेत्र से पकड़ा गया। कार्रवाई उपनिरीक्षक रामस्वरूप द्वारा की गई। मामले की जांच हेडकांस्टेबल भगवतीलाल कर रहे हैं।

बिना लाइसेंस शराब रखने पर कार्रवाई

उदयपुर। सवीना थाना पुलिस ने बिना लाइसेंस देशी शराब रखने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी भीमा गमेती (29) निवासी गुखरमंगरी तितरड़ी को फांदा से बिलिया रोड क्षेत्र से पकड़ा गया। कार्रवाई उपनिरीक्षक राजेन्द्र सिंह द्वारा की गई। मामले की जांच हेडकांस्टेबल जितेन्द्र सिंह कर रहे हैं।

अवैध शराब के साथ एक और आरोपी गिरफ्तार

उदयपुर। सवीना थाना पुलिस ने अवैध शराब रखने और परिवहन करने के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी जितेन्द्र सिंह (32) निवासी चित्तोसा (हाल सेक्टर-14, उदयपुर) को गीतांजली हॉस्पिटल के सामने से पकड़ा गया। कार्रवाई उपनिरीक्षक लाल सिंह चौहान द्वारा की गई। मामले की जांच उपनिरीक्षक अमर सिंह कर रहे हैं।

6 लीटर अवैध महुआ शराब जब्त, आरोपी फरार

उदयपुर। पानरवा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 लीटर अवैध महुआ शराब जब्त की। आरोपी प्रभुलाल मेघवाल निवासी नालवा मौके से फरार हो गया। कार्रवाई हेडकांस्टेबल कांतिलाल द्वारा की गई। मामले की जांच उपनिरीक्षक मनीष कुमार मीणा व रमेश चंद्र कर रहे हैं।

एनडीपीएस एक्ट में दो युवक गिरफ्तार

उदयपुर। हाथीपोल थाना पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए दो युवकों को गिरफ्तार किया। आरोपी हिम्मत उर्फ राहुल चौधरी (26) व अल्पेश मेघवाल (22) निवासी मुंगाणा थाना पारसोला, जिला प्रतापगढ़ को मादक पदार्थ से जुड़े मामले में पकड़ा गया। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया। कार्रवाई थानाधिकारी राजुदेवी के निर्देशन में की गई। मामले की जांच उपनिरीक्षक मनोज कुमार कर रहे हैं।

बीएनएसएस के तहत युवक के खिलाफ कार्रवाई

उदयपुर। हाथीपोल उथाना पुलिस ने शांति भंग की आशंका को देखते हुए एक युवक के खिलाफ कार्रवाई की। आरोपी रमेश लौहार (25) निवासी संग्रामपुरा, थाना कानोड़ को बीएनएसएस की धारा 126-170 के तहत पाबंद किया गया। कार्रवाई थानाधिकारी राजुदेवी के नेतृत्व में की गई। मामले की जांच उपनिरीक्षक मनोज कुमार कर रहे हैं।

रेस्टोरेंट में मारपीट व रुपए छीनने का मामला दर्ज

उदयपुर। भूपालपुरा थाना क्षेत्र में रेस्टोरेंट में मारपीट और रुपए छीनने का मामला सामने आया है। प्रार्थी मनोज वेद निवासी कालका माता रोड ने रिपोर्ट दी कि 21 मार्च की रात यूनिवर्सिटी रोड स्थित बी.एन. रेस्टोरेंट में निशांत गहलोत व जितेंद्र कुमावत ने उसके साथ मारपीट व गाली-गलौच की और गल्ले से जबरन रुपए लेकर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रकरण की जांच हेडकांस्टेबल मनबहादुर सिंह कर रहे हैं।

जिले में एलपीजी की नियमित आपूर्ति को लेकर प्रशासन है अलर्ट मोड़ पर, कलेक्टर ने दिए त्वरित कार्रवाई के निर्देश

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर, 25 मार्च। जिले में एलपीजी आपूर्ति व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने और कालाबाजारी पर रोक लगाने के उद्देश्य से जिला कलेक्टर नमित मेहता नियमित रूप से स्वंय मॉनिटरिंग कर रहे है तथा आवश्यक कार्यवाहियां की जा रही है। इसी क्रम में कलेक्टर मेहता ने बुधवार को विशेष आदेश जारी किए हैं। प्रदेश के मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास के निर्देशों की अनुपालन में जारी आदेश के तहत संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से विभिन्न कार्यवाहियां सुनिश्चित करने को कहा गया है।

बुधवार को जारी आदेश के अनुसार जिले में गैस एजेंसियों की 100 प्रतिशत जांच सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही गैस की कालाबाजारी अथवा जमाखोरी के मामलों में तत्काल एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला रसद अधिकारी (डीएसओ) को इस पूरी कार्रवाई का दायित्व सौंपा गया है। कलेक्टर ने आमजन की शिकायतों के त्वरित समाधान पर भी जोर दिया है। निर्देश दिए गए हैं कि सभी सार्वजनिक शिकायतों का निस्तारण 24 घंटे के भीतर किया जाए, जबकि कालाबाजारी से संबंधित शिकायतों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।

इसके अतिरिक्त, जिले में एलपीजी एवं पेट्रोल-डीजल की उपलब्धता और स्थिति की दैनिक मॉनिटरिंग रिपोर्ट तैयार कर राज्य स्तर पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के सचिव को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि सिटी गैस वितरण (सीडीजी) से संबंधित 58 लंबित आवेदनों को जिला स्तरीय समिति द्वारा शीघ्र स्वीकृत कर उनकी रिपोर्ट संबंधित उच्चाधिकारियों को भेजी जाए।

रितिका सूद ने 'फायर वॉक' कर दिखाई साहस की मिसाल

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर, 25 मार्च। नवरात्रि के अवसर पर रितिका सूद ने 20 मार्च 2026 को लंदन में आयोजित 'फायर वॉक' सफलतापूर्वक पूरा कर साहस और आत्मबल की मिसाल पेश की। इससे पूर्व वे मार्च 2025 में हिमालय बेस कैंप तक की कठिन यात्रा भी पूरी कर चुकी हैं। कार्यक्रम से प्राप्त राशि उन्होंने चैरिटी के लिए समर्पित की। रितिका की माता डॉ. राजश्री गांधी ने उनकी इस उपलब्धि पर गर्व जताया। रितिका की सफलता से उदयपुर सहित पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है।

समाचार भेजने के लिए हमारी मेल आई-डी पर संपर्क करें -
desk24newsupdate@gmail.com

चंडीगढ़–उदयपुर सिटी सहित कई रेलसेवाओं का रूट बदला, कुछ रद्द

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। रेलवे की पटरियों पर चल रही तकनीकी हलचल का असर अब उदयपुर तक पहुंच गया है। जयपुर–रेवाड़ी रेलखंड पर आरयूबी (रेल अंडर ब्रिज) लॉन्चिंग कार्य के चलते उत्तर पश्चिम रेलवे ने कई ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द, मार्ग परिवर्तित, रेगुलेट और रीशेड्यूल किया है। इसका सीधा असर उदयपुर से जुड़ी रेल सेवाओं पर भी पड़ेगा, जिससे यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन के अनुसार जयपुर मंडल के खैरथल–पड़ीसल और पड़ीसल–अलवर स्टेशनों के बीच समपार फाटक संख्या 95 और 106 पर आरयूबी लॉन्चिंग का कार्य किया जा रहा है। इसी वजह से 9 और 10 मई 2026 को कई ट्रेनें प्रभावित रहेंगी।

उदयपुर आने-जाने वाली ट्रेन का बदला मार्ग

उदयपुर के यात्रियों के लिए सबसे अहम खबर यह है कि चंडीगढ़–उदयपुर सिटी (गाड़ी संख्या 20990) रेलसेवा 10 मई को अपने निर्धारित मार्ग रेवाड़ी–अलवर–जयपुर–फुलेरा के बजाय परिवर्तित मार्ग रेवाड़ी–रींगस–फुलेरा होकर संचालित होगी। इससे ट्रेन के समय और ठहराव पर भी असर पड़ सकता है।

इन ट्रेनों का भी बदला रूट, जयपुर-अलवर सेक्शन प्रभावित रेलखंड पर काम के कारण कई प्रमुख ट्रेनों को जयपुर-अलवर मार्ग से हटाकर वैकल्पिक रूट पर चलाया जाएगा। इनमें भुज–बरेली, जोधपुर–दिल्ली कैंट वंदे भारत, बाड़मेर–जम्मूतवी, देहरादून–ओखा, पोरबंदर–दिल्ली सराय और जैसलमेर–काठगोदाम जैसी लंबी दूरी की ट्रेनें शामिल हैं। इन ट्रेनों को रींगस, लोहारू और रतनगढ़ जैसे वैकल्पिक स्टेशनों से होकर गुजारा जाएगा।

दो स्पेशल ट्रेनें आंशिक रद्द

जयपुर–रेवाड़ी स्पेशल (09635) 10 मई को अलवर तक ही चलेगी, जबकि रेवाड़ी–जयपुर स्पेशल (09636) अलवर से ही संचालित होगी। यानी इन दोनों ट्रेनों का संचालन अलवर–रेवाड़ी खंड में पूरी तरह बंद रहेगा।

कुछ ट्रेनें देरी से, कुछ रास्ते में रोकी जाएंगी

रेलवे ने कुछ ट्रेनों को मार्ग में रेगुलेट (धीमी/रोककर) करने का निर्णय भी लिया है। दिल्ली सराय–जयपुर (12986) को 40 मिनट, अजमेर–नई दिल्ली शताब्दी (12016) को 15 मिनट और शकूरबस्ती–जैसलमेर (12249) को 30 मिनट तक रोका जाएगा। वहीं, मथुरा–भिवानी (14726) ट्रेन 3 घंटे 10 मिनट की देरी से और अजमेर–जम्मूतवी (12413) डेढ़ घंटे की देरी से अपने प्रारंभिक स्टेशन से रवाना होगी।

यात्रियों को पहले से योजना बनाने की सलाह रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति की जानकारी जरूर ले लें। विशेषकर उदयपुर से आने-जाने वाले यात्रियों को मार्ग परिवर्तन और संभावित देरी को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा की योजना बनानी होगी।

अवैध शराब पर वारः आबकारी विभाग का प्रदेशभर में एक्शन, हजारों लीटर वॉश नष्ट, हथकड़ शराब जब्त

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। राज्य में अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए विशेष निरोधात्मक अभियान के तहत बड़े स्तर पर कार्रवाई की है। विभिन्न जिलों में एक साथ चलाए गए अभियान में हजारों लीटर वॉश नष्ट किया गया, अवैध शराब जब्त की गई और कई मामलों में अभियोग दर्ज किए गए। आबकारी आयुक्त शिवप्रसाद नकाते के निर्देश पर चल रहे इस अभियान में 'जीरो टॉलरेंस' नीति के तहत तस्करी, अवैध निर्माण, भंडारण और परिवहन पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। अतिरिक्त आबकारी आयुक्त प्रदीप सिंह सांगावत और अनिल कुमार शर्मा के सुपरविजन में टीमें सक्रिय रूप से गश्त, नाकाबंदी और दबिश दे रही हैं। आबकारी विभाग के अनुसार प्रदेशभर में यह अभियान लगातार जारी रहेगा और अवैध शराब के कारोबार में लिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

जिलों में कार्रवाई का हाल

हनुमानगढ़ः आबकारी थाना हनुमानगढ़ और संगरिया की संयुक्त कार्रवाई में पन्नीवाली, फतेहपुर और अमरपुरा थेड़ी क्षेत्रों में करीब 1200 लीटर वॉश नष्ट किया गया।
चूरूः 82 पव्वे देशी शराब और 12 लीटर हथकड़ शराब जब्त की गई।
नागौर (परबतसर)ः दबिश के दौरान 500 लीटर वॉश नष्ट और 10 लीटर अवैध शराब बरामद, 2 केस दर्ज।
चित्तौड़गढ़ (निम्बाहेड़ा)ः नाकाबंदी में एक ईको वैन से 14 कार्टन देशी शराब और बीयर जब्त की गई। वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज।
बांसवाड़ाः बांसवाड़ा और कुशलगढ़ क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए करीब 3 हजार लीटर महुआ वॉश नष्ट किया गया, साथ ही 48 बोतल अवैध शराब जब्त कर 4 मामले दर्ज किए गए।

रिश्वत कांड के बाद मांडवा-कोटड़ा पुलिस पर सवाल, जनप्रतिनिधियों ने पूरे स्टाफ बदलने की उठाई मांग

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। मांडवा थाना क्षेत्र में सामने आए रिश्वत प्रकरण के बाद पुलिस व्यवस्था पर सवाल खड़े होने लगे हैं। बुधवार को कोटड़ा क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस अधीक्षक डॉ. अमृता दुहन से मुलाकात कर मांडवा और कोटड़ा थानों के पूरे स्टाफ को बदलने की मांग की। भाजपा कोटड़ा मंडल अध्यक्ष हिम्मत तावड़ ने आरोप लगाया कि इन थानों में पदस्थ अधिकारी और कर्मचारी आमजन, खासकर आदिवासी व गरीब वर्ग को डराकर अवैध वसूली करते हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में ट्रेप हुए मांडवा थानाधिकारी और उनकी टीम पर भी रिश्वत नहीं देने पर परिवादी के घर से मुर्गे-बकरे उठाने तक के आरोप लगे हैं। प्रतिनिधिमंडल में शामिल पूर्व प्रधान मुरलीलाल बंबुरिया ने पुलिस पर मादक पदार्थों की तस्करी को बढ़ावा देने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए। जनप्रतिनिधियों का कहना है कि क्षेत्र में पुलिस का रवैया आमजन के प्रति संवेदनशील नहीं है और ग्रामीणों की शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया जाता। गौरतलब है कि हाल ही में एसीबी ने कार्रवाई करते हुए एक कॉन्स्टेबल को 8 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के मामले में 22 मार्च को पीड़ित के घर से रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। आरोप है कि नशे के केस में फंसाने की धमकी देकर रिश्वत मांगी जा रही थी। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि कोटड़ा क्षेत्र में बड़ी संख्या में आदिवासी और अशिक्षित लोग रहते हैं, जो कानून की जानकारी के अभाव में पुलिस के दबाव में आ जाते हैं। ऐसे में पुलिसकर्मियों द्वारा घरों और खेतों में जाकर डराने-धमकाने और जबरन वसूली की घटनाएं सामने आती रहती हैं। प्रतिनिधिमंडल में बखेल पंचायत सरपंच देवीलाल, जेड सरपंच अलीचंद, सरपंच जमुनालाल सहित अन्य जनप्रतिनिधि शामिल रहे। उन्होंने एसपी से निष्पक्ष कार्रवाई करते हुए दोनों थानों में नए स्टाफ की नियुक्ति की मांग की है।

तीर्थंकर दिवस पर व्याख्यानमाला: ऋषभदेव के सिद्धांतों को बताया जीवन निर्माण का आधार

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। तीर्थंकर दिवस (ऋषभ नवमी) के अवसर पर मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के जैनविद्या एवं प्राकृत विभाग द्वारा "जीवन निर्वाह एवं जीवन निर्माण के सूत्रधार तीर्थंकर ऋषभदेव" विषय पर व्याख्यानमाला आयोजित की गई। कार्यक्रम में विद्वानों ने ऋषभदेव के आदर्शों को वर्तमान समाज के लिए प्रासंगिक बताते हुए उन्हें जनकल्याण और आध्यात्मिक जीवन का आधार बताया। कार्यक्रम का आयोजन सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय में हुआ, जिसमें कुलगुरु प्रो. बी.पी. सारस्वत के संरक्षण एवं आर्ट्स महाविद्यालय के अधिष्ठाता प्रो. एम.एस. राठौड़ के मार्गदर्शन में आयोजन संपन्न हुआ। शुरुआत तीर्थंकर ऋषभदेव के मंगलगान से हुई। प्रभारी अध्यक्ष डॉ. सुमत कुमार जैन ने स्वागत उद्बोधन में कहा कि तीर्थंकर दिवस भारतीय संस्कृति, सभ्यता और संस्कारों का प्रतीक है, जो समाज को आध्यात्मिक दिशा प्रदान करता है। मुख्य वक्ता प्रो. प्रेम सुमन जैन ने स्पष्ट किया कि जैन धर्म के प्रवर्तक तीर्थंकर ऋषभदेव हैं, जबकि भगवान महावीर इसके व्याख्याकार रहे। मुख्य अतिथि डॉ. देव कोठारी ने अपने संबोधन में कहा कि ऋषभदेव ने ब्राह्मी और सुंदरी के माध्यम से नारी शिक्षा की परंपरा की शुरुआत कर सामाजिक विकास की नींव रखी। विशिष्ट अतिथि डॉ. नवीन नंदवाना ने आत्मानुशासन, इन्द्रिय संयम और रिश्तों में संतुलन को जीवन के लिए आवश्यक बताया। प्रो. पारसमल अग्रवाल ने 'क्षमा' के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि यह व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को संतुलित बनाने का प्रमुख आधार है। कार्यक्रम के अंत में डॉ. ज्योतिबाबू जैन ने आभार व्यक्त किया, जबकि संचालन धरणेन्द्र जैन ने किया। इस अवसर पर डॉ. सतीश अग्रवाल, डॉ. सुरेश सालवी, डॉ. मुकेश मीणा, डॉ. मनीष मलयकेतु, डॉ. सरोज जैन सहित संकाय सदस्य उपस्थित रहे। साथ ही शोधार्थी डॉ. पुष्पा कोठारी, डॉ. रेखा जैन, डॉ. सीमा जैन, डॉ. निर्मला बैनाड़ा तथा बड़ी संख्या में विद्यार्थी एवं गणमान्य नागरिक मौजूद रहे।

जिला कलेक्टर ने ली पेट्रोलियम गैस कंपनियों की बैठक, पीएनजी कार्यों की प्रगति की समीक्षा, सड़कों की खुदाई से संबंधित दिए आवश्यक निर्देश

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर, 25 मार्च। जिला कलेक्टर नमित मेहता ने बुधवार को पेट्रोलियम गैस कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में शहर में चल रहे पाइपलाइन गैस (पीएनजी) कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पाइपलाइन बिछाने से जुड़े कार्यों, निगम से मिलने वाली एनओसी तथा कार्यों में आ रही विभिन्न बाधाओं पर विस्तार से समीक्षा की गई। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार औद्योगिक एवं वाणिज्यिक संस्थानों को प्राथमिकता के आधार पर पाइप्ड गैस लाइन (पीएनजी) से जोड़ा जाए, जिससे स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिल सके और पारंपरिक ईंधनों पर निर्भरता कम हो।

बैठक के दौरान कलेक्टर ने शहर में पाइपलाइन बिछाने के कार्यों के चलते क्षतिग्रस्त हुई सड़कों के संबंध में भी समीक्षा की और संबंधित निर्माण एजेंसियों को निर्देश दिए कि वे शीघ्रता से सड़कों की मरम्मत सुनिश्चित करें। साथ ही उन्होंने हाल ही में निर्मित सड़कों को नुकसान से बचाने के लिए विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर नमित मेहता ने स्पष्ट किया कि बिना आपसी समन्वय के किसी भी संस्था या एजेंसी द्वारा सड़कों की खुदाई नहीं की जाए। सभी विभागों और एजेंसियों को समन्वय स्थापित कर कार्य करने के निर्देश दिए गए, ताकि आमजन को अनावश्यक परेशानी से बचाया जा सके।

उन्होंने यह भी कहा कि गैस कनेक्शन प्राप्त घरेलू उपभोक्ताओं को पीएनजी कनेक्शन देने में प्राथमिकता दी जाए और इसके प्रति जागरूकता बढ़ाई जाए, जिससे अधिक से अधिक लोग इस सुविधा का लाभ उठा सकें। बैठक में यूडीए आयुक्त राहुल जैन, नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना, एडीएम सिटी जितेंद्र ओझा, डीएसओ प्रथम सृष्टि डबास सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं पेट्रोलियम कंपनियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

देवास परियोजना: 368 प्रभावित परिवारों को मिलेगा भूखंड और पशु बाड़ा

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर, 25 मार्च। उदयपुर शहर की पेयजल संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करने तथा शहर की विश्वप्रसिद्ध झीलों को सैदव भरा रखने की महत्वाकांक्षी परियोजना देवास के तृतीय एवं चतुर्थ बांध परियोजना से प्रभावित परिवारों के भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन से जुड़े विषयों पर जिला स्तरीय पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन समिति की बैठक बुधवार को जिला कलेक्टर श्री नमित मेहता की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट मिनी सभागार में आयोजित हुई।

बैठक में परियोजना से प्रभावित कुल 368 परिवारों के पुनर्वास, मुआवजा वितरण एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना पर विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारियों द्वारा बताया गया कि प्रभावित परिवारों को यथासंभव उनके मूल गांवों के निकट बसाने की योजना बनाई जा रही है। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रभावित परिवारों को 30 गुणा 60 फीट का आवासीय भूखंड तथा पशुपालन के लिए 30 गुणा 15 फीट का पशु बाड़ा उपलब्ध कराया जाएगा। पुनर्वास स्थलों पर स्कूल, सामुदायिक भवन, पेयजल, सड़क, जल निकासी, आंगनबाड़ी, उपस्वास्थ्य केंद्र, शौचालय, पशु चिकित्सालय, उचित मूल्य की दुकान, खेल मैदान, अंतिम संस्कार स्थल एवं पूजा स्थल सहित सभी मूलभूत सुविधाओं का विकास नियमानुसार किया जा रहा है।

बैठक में स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने सुझाव दिया कि एक ही परिवार के सदस्यों को पास-पास भूखंड आवंटित किए जाएं। इस पर जिला कलेक्टर ने आश्वस्त किया कि भूखंड आवंटन की लॉटरी प्रक्रिया में इस भावना का यथासंभव ध्यान रखा जाएगा। साथ ही कलेक्टर मेहता ने यह भी कहा कि बैठक के बाद भी यदि प्रभावित परिवारों या जनप्रतिनिधियों के कोई सुझाव आते हैं तो उन्हें गंभीरता से सुना जाएगा और नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पुनर्वास कार्यों को प्राथमिकता के साथ समयबद्ध तरीके से पूर्ण किया जाए। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर दीपेन्द्र सिंह राठौड़, भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं गोगुन्दा उपखण्ड अधिकारी शुभम भैसारे, परियोजना के अधीक्षण अभियंता मनोज जैन, अधिशासी अभियंता बीरबल डूडी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। साथ ही डूब प्रभावित ग्रामों के जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों ने भी बैठक में भाग लेकर अपने सुझाव प्रस्तुत किए।

श्रीमाली ब्राह्मण समाज मेवाड़ की कार्ययोजना तय, 8 फरवरी को सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। श्रीमाली ब्राह्मण समाज संस्था मेवाड़ ने आगामी वर्ष की सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक गतिविधियों की रूपरेखा तय कर दी है। संस्था की बैठक में निर्णय लिया गया कि 8 फरवरी को श्री संस्कार भवन परिसर में सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें समाज के बालकों का वैदिक विधि-विधान से संस्कार कराया जाएगा। संस्था अध्यक्ष दिग्विजय श्रीमाली की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में वर्षभर के कार्यक्रमों पर विस्तृत चर्चा कर वार्षिक कार्ययोजना को अंतिम रूप दिया गया। समाज के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए युवाओं के लिए कैरियर मार्गदर्शन शिविर और खेलकूद प्रतियोगिताएं, बाल एवं किशोर वर्ग के लिए संस्कार शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया गया। युवाप्रकोष्ठ द्वारा आश्विन नवरात्र में गरबा महोत्सव और महिला संगठन द्वारा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर सामूहिक योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही स्वास्थ्य जागरूकता के लिए चिकित्सा जांच एवं परामर्श शिविर भी लगाए जाएंगे। सामाजिक एकता को बढ़ावा देने के लिए अनंत चतुर्दशी का सामूहिक उद्यापन भी प्रस्तावित किया गया है। बैठक के दौरान संस्कार भवन के विकास के लिए विधिमंत्री मनीष श्रीमाली और उपेश त्रिवेदी ने एक-एक लाख रुपए का सहयोग चेक के माध्यम से प्रदान किया। इस अवसर पर वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमशंकर श्रीमाली, उपाध्यक्ष रमेश श्रीमाली, गिरीश श्रीमाली, अरविंद श्रीमाली, संयुक्त महामंत्री भावप्रकाश श्रीमाली, मंत्री जयंत श्रीमाली, संगठन मंत्री कुंदनलाल श्रीमाली, अनीश श्रीमाली, सांस्कृतिक मंत्री जमनालाल श्रीमाली, कोषाध्यक्ष गौरीशंकर श्रीमाली, खेल मंत्री मयंक श्रीमाली, मेवाड़ युवा अध्यक्ष प्रफुल्ल श्रीमाली, महिला अध्यक्ष रेखा श्रीमाली, महामंत्री दीप्ति श्रीमाली सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी व समाजजन उपस्थित रहे।

सिंधी होली कप-4 में क्रिकेट का रंग चढ़ा परवान: क्वार्टर फाइनल में छाए 'डी गैजेट हब' और 'सपरा इंटरप्राइजेज', सेमीफाइनल लाइनअप तय

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। सिंधी युवा संगठन के तत्वावधान में आयोजित 'सिंधी होली कप सीजन-4' अब अपने निर्णायक दौर में पहुंच चुका है। टूर्नामेंट के तीसरे दिन मैदान पर रोमांच अपने चरम पर रहा, जहां छक्कों-चौकों की गूंज के बीच चारों सेमीफाइनलिस्ट टीमों ने अपनी जगह पक्की कर ली। दिनभर चले मुकाबलों में खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन करते हुए दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। आयोजन समिति के भारत छाबड़ा ने बताया कि तीसरे दिन की शुरुआत ग्रुप चरण के अंतिम मुकाबले से हुई, जिसके बाद लगातार चार क्वार्टर फाइनल मैच खेले गए। हर मुकाबला अपने आप में रोमांच से भरपूर रहा और अंत तक परिणाम को लेकर उत्सुकता बनी रही।

ग्रुप मैच में आरके ट्रेडर्स की जीत

दिन के पहले मुकाबले में आरके ट्रेडर्स और राजू कैसेट आमने-सामने हुए। आरके ट्रेडर्स ने संतुलित खेल का प्रदर्शन करते हुए 17 रनों से जीत दर्ज की। इस मैच में भावेश रगुनी के शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें 'मैन ऑफ द मैच' चुना गया। पहले क्वार्टर फाइनल में 24 न्यूज ने मोहन ट्रेडिंग कंपनी को एकतरफा अंदाज में 8 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। राजा वाधवानी इस जीत के हीरो रहे। दूसरे क्वार्टर फाइनल में शुभ लक्ष्मी मार्बल ने फ्रेंज़ी ग्रुप को 8 विकेट से मात दी। नितिन नेभनानी के दमदार खेल ने टीम को जीत दिलाई। तीसरे क्वार्टर फाइनल में डी गैजेट हब ने शानदार प्रदर्शन करते हुए आरके ट्रेडर्स को 9 विकेट से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। नितिन सोभवानी को 'मैन ऑफ द मैच' घोषित किया गया। चौथे और अंतिम क्वार्टर फाइनल में सपरा इंटरप्राइजेज ने कड़े मुकाबले में श्री हरदेव को 5 विकेट से हराया। इस मैच में सुमित रामनानी ने बेहतरीन प्रदर्शन कर टीम को जीत दिलाई और 'मैन ऑफ द मैच' बने।

सेमीफाइनल में पहुंचीं ये टीमें

क्वार्टर फाइनल मुकाबलों के बाद 24 न्यूज, शुभ लक्ष्मी मार्बल, डी गैजेट हब और सपरा इंटरप्राइजेज ने सेमीफाइनल में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली है। अब इन टीमों के बीच खिताबी जंग और भी रोमांचक होने की उम्मीद है। संगठन के आशीष सिधवानी ने बताया कि टूर्नामेंट के दौरान समाज और राजनीति के कई गणमान्य व्यक्तित्वों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इनमें गजेंद्र भंडारी (पूर्व जिला मंत्री, भाजपा), मोहन गुर्जर (पूर्व पार्षद), मुरली राजानी (अध्यक्ष, हिरण मगरी पंचायत), ओमप्रकाश तलदार (महासचिव), बसंत पंजवानी (उपाध्यक्ष), गिरीश राजानी (संस्थापक, झूलेलाल युवा संघ), विक्की राजपाल (उपाध्यक्ष, प्रतापनगर पंचायत) और समाजसेवी मनीष गुरानी शामिल रहे। सभी अतिथियों ने खिलाड़ियों से परिचय कर उनका उत्साहवर्धन किया।

आस्था का कारवां: सिंधी समाज के 800 श्रद्धालुओं ने वैष्णो देवी धाम में किए दर्शन, 17 बसों में भक्ति यात्रा

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। नवरात्रि के पावन अवसर पर सिंधी समाज ने एक बार फिर सामूहिक आस्था और एकता का अद्भुत उदाहरण पेश किया। बुधवार को समाज के करीब 800 श्रद्धालुओं ने नाथद्वारा रोड स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन कर धर्म, भक्ति और सेवा की त्रिवेणी को साकार किया। पूरे आयोजन में श्रद्धालुओं के उत्साह और उल्लास का माहौल देखते ही बन रहा था। सुबह से ही शहर के विभिन्न क्षेत्रों से श्रद्धालु बसों में सवार होकर भजन-कीर्तन करते हुए मंदिर की ओर रवाना हुए। यात्रा के दौरान "जय माता दी" के जयकारों और भक्ति गीतों से वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो गया। श्रद्धालु पूरे रास्ते माता के भजनों पर झूमते नजर आए। संगठन के अध्यक्ष अभिषेक कालरा ने बताया कि इस भव्य धार्मिक यात्रा के लिए समाज की ओर से कुल 17 विशेष बसों की व्यवस्था की गई थी। इन बसों की निशुल्क सेवा समाज के सेवाभावी व्यक्तियों—हरीश राजान, कमल पाहुजा, उमेश नारा और अशोक लिंजारा—द्वारा उपलब्ध कराई गई। उन्होंने बताया कि यात्रा का संपूर्ण संचालन सिंधी युवा संगठन के तत्वावधान में सुव्यवस्थित तरीके से किया गया। कालरा ने कहा कि नवरात्रि के अवसर पर समाज में माता के प्रति गहरी श्रद्धा रहती है। ऐसे में युवाओं ने आगे बढ़कर यह सुनिश्चित किया कि हर श्रद्धालु को सुरक्षित, सुगम और आनंदमय यात्रा का अनुभव मिले। माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद मंदिर परिसर में सभी श्रद्धालुओं के लिए भव्य प्रसादी (भोजन) का आयोजन भी किया गया। इस व्यवस्था का संचालन मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी प्रमुख सुनील खत्री ने किया। उन्होंने श्रद्धालुओं के स्वागत से लेकर भोजन व्यवस्था तक सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से सुनिश्चित कीं।

24 न्यूज़ अपडेट- डिजिटल संस्करण स्वामित्व एवं प्रसारण ग्रुप के लिए करण सिंह देवड़ा द्वारा ई-न्यूज पेपर के फारमेट में प्रसारित प्रधान सम्पादक - सुशील जैन फोन .88520 73787, desk24newsupdate@gmail.com सर्वविवादों का न्याय क्षेत्र उदयपुर रहेगा ।